न्यायालय उपजिलाधिकारी जखनियाँ, गाजीपुर

वाद संख्या-23 धारा 143 ज0 वि0 अधि0

मौजा–युसुफपुर परगना–शादियाबाद

खाकी बाबा सिद्धार्थ महाविद्यालय (फा) बनाम गाँवसभा आदि

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अशोक कुमार पुत्र विजय नरायन, प्रबन्धक खाकी बाबा सिद्धार्थ महाविद्यालय (फा) युसुफपुर परगना–शादियाबाद ने गांवसभा युसुफपुर परगना–शादियाबाद को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा –युसुफपुर परगना–शादियाबाद तहसील–जखनियाँ स्थित आराजी नं0 1037 रकबा 0.177 व आ0नं0 1042 रकबा 0.841 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420–1425 व खसरा 1419 फसली दाखिल किया है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार जखनियाँ से कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल / रा0 नि0 / नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम युसुफपुर परगना–शादियाबाद स्थित आ0नं0 1037 रकबा 0.177 व आ0नं0 1042 रकबा 0.841 पर खाकी बाबा सिद्धार्थ महाविद्यालय (फा) की चाहारदीवारी व भवन से आच्छादित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषित घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

सूचना हेतु विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये जो संलग्न पत्रावली है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मैनें तहसीलदार की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / सबूतों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि मौजा युसुफपुर परगना–शादियाबाद स्थित आ0नं0 1037 रकबा 0.177 व आ0नं0 1042 रकबा 0.841

पर खाकी बाबा सिद्धार्थ महाविद्यालय (फा) की चाहारदीवारी व भवन से आच्छादित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में धारा–143 ज0वि0अधि0 के नियम 135 के तहत आ0 ने0 को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार आख्या दिनांक 01.03.13 से सहमत होते हुए मौजा– युसुफपुर परगना–शादियाबाद स्थित आ0नं0 1037 रकबा 0.177 व आ0नं0 1042 रकबा 0.841 को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

23.03.13

दिनांक

(अमित सिंह)
उपजिलाधिकारी जखनियाँ
जनपद–गाजीपुर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित ।

23.03.13

दिनांकः

(अमित सिंह)
उपजिलाधिकारी जखनियाँ
जनपद--गाजीपुर

28-1-16

उद्धरण क्रमांक : 20379920221175

उद्धरण खतौनी
(जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी केन्द्र से जारी)

Ref_no : 221950090011735

ग्राम क्रमांक : 203799 ग्राम का नाम / परगना : युसूफपुर/शादियावाद तहसील : जखनियाँ जनपद : गाजीपुर फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------2------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क/ भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार मे हो।							
00334	रणबहादुर / जगदीश नरायन / नि. ग्राम आनन्दबहादुर / जगदीश नरायन / नि. ग्राम खाकी वावा सिद्वार्थ महाविद्यालय फा./ दुबाईन का पोखरायुसूफपुर गाजीपुर / नि.ग्राम अशोक कुमार सिंह प्रबन्धक / विजयनरायण सिंह / नि.ग्राम	1407फ	1037	0.9780			
			1	**0.9780**	**29.50**	**0**	**0**

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ सात आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो नौ दशमलव पाँच शून्य रुपये

Data Digitally Signed by:PURNMASI RAM

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी:
तहसील: जखनियाँ **जनपद:** गाजीपुर
दिनांक एवं समय: Sat Nov 26 08:41:20 IST 2022
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

जारीकर्ता सी.एस.सी / लोकवाणी केन्द्र-
नाम: वयम जन सेवा केंद्र,अनिल कुमार यादव, केन्द्र प्रभारी
पता: Nasirpur, जखनियन, नसीरपुर, मनिहारी, जखनियन

कार्यालय उपनिबंधक जखनिया जखनिया जनपद गाजीपुर

आवेदन संख्या :2202215500279

प्रमाण संख्या :22022155000248

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैन्युअल के नियम 328)

श्री- **धर्मप्रकाश दूबे, एडवोकेट** पुत्र- **जयगोविन्द दूबे** तहसील **जखनिया** जिला **गाजीपुर** ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - **युसूफपुर**, वार्ड/परगना- **शादियावाद, आवासीय- खाकी बाबा सिद्धार्थ महाविद्यालय दुबाईन पोखरा पुसुफपुर जरिये प्रबन्धक अशोक कुमार सिंह पुत्र विजय नारायण सिंह निवासी ग्राम युसूफपुर प० शादियाबाद त० जखनिया जिला गाजीपुर, आराजी नं० 1037 व 1042 मुमला दो गाटा कुल रकबा 1.8190 हे० स्थित मौजा पुसूफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनिया जिला गाजीपुर , आ०नं० 1037 व 1042**

मै एतत्द्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक **01/01/2011** से दिनांक **17/11/2022** तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :21-11-2022

नोट - 1.इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढ़े गए है। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासम्भव सावधानी के साथ किया गया है,और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं,परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक **जितेन्द्र सोनकर क०स०नि०।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **अनिल कुमार तिवारी क०स०नि०।**

anil tiwari
Digitally signed by anil tiwari
Date: 2022.11.21 19:24:01 +05'30'

उपनिबन्धक जखनिया
गाजीपुर